

प्रस्ताव की राज्य कम सं० FP/UP/Pipeline/42798/2019  
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

**भाग-II**

**(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)**

7	परियोजना / स्कीम का स्थान	
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ii)	जिला	मऊ
(iii)	वन प्रभाग	सा0वा0 प्रभाग, मऊ
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे०में)	0.004 हे०
(v)	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
(vi)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ०आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किये जाय।	संलग्न है
(vii)	हरियाली का घनत्व	0.3
(viii)	भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	ये भू-भाग भू-संरक्षण की दृष्टि से संवेदनशील नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित सील की वन सीमा	प्रस्तावित वनेत्तर प्रयोग की भूमि संरक्षित वन क्षेत्र से लगी है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव, अभयारण्य, जीवमंडल आदि का भाग है (यदि हो तो क्षेत्र का ब्यौरा तथा मुख्य वन जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाय)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जाति की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती है यदि हाँ / तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातात्विक / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ यदि अपेक्षित हो तो दें।	नहीं
8	उपभोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्प के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	हां, प्रस्तावित वन भूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही रहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	परियोजना के अन्तर्गत उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, मऊ, देवरिया एवं गोरखपुर वन प्रभागों में कुल 3.9806 हे० वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रभावित हो रही है, जिसमें मऊ वन प्रभाग में 0.004 हे० संरक्षित वन भूमि प्रभावित है एवं परियोजना कार्य के अन्तर्गत कोई वृक्ष बाधक नहीं है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अनाधिकृत वनेतर/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	उक्त प्रभावित वन भूमि के क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए आवश्यक शुद्ध 8.00 हे० अवनत वन भूमि के सापेक्ष चयनित 12.00 हे० सकल क्षेत्रफल का चयन रायबरेली रेंज के खुरहटी वन ब्लाक(8.00 हे०) एवं भदोखर वन ब्लाक (6.00 हे०) में किया गया है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवकमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	प्रभागीय निदेशक, रायबरेली एवं वरिष्ठ प्रबन्धक, आई०एच०बी० लि०, लखनऊ द्वारा दिनांक 17.09.2021 को आयोजित संयुक्त बैठक में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थलों की टोपोग्राफी, जियो रिफरेंसड मैप, चयनित स्थलों की Kml की सी०डी० उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठ प्रबन्धक, आई०एच०बी० लि०, लखनऊ को अवगत कराया गया है। इस प्रकार कम सं० 10 के समस्त बिन्दुओं की सूचना कार्यालय प्रभागीय निदेशक, पर्यावरण, वन तथा जलवस्तु परिवर्तन प्रभाग, रायबरेली द्वारा भरा जाना अपेक्षित है। संयुक्त बैठक आस्था की छायाप्रति संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी के समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्तान्तरित किया	

11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
	(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	171300 हे०
	(ii) जिले का वन क्षेत्र	519.027 हे०
	(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र	13 मामले, 52.0726 हे०
	(iv) 1980 से जिला/ प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	21.72 हे०
	(क) दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	4.61 हे०
	(ख) वनेत्तर भूमि	17.11 हे०
	(v) प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	
	(क) वन भूमि पर	4.61 हे०
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	17.11 हे०
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	विकास कार्य हेतु आवश्यक न्यूनतम 0.004 हे० संरक्षित वनभूमि का प्रयोग वनेत्तर कार्यों, काण्डला-गोरखपुर एल०पी०जी० पाईप लाईन परियोजना (उन्नाव-गोरखपुर सेक्शन) कार्य हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक : 29.9.2021

स्थान : .....

हस्ताक्षर  
सरकारी मोहर

**प्रभागीय निदेशक**  
**सामाजिक वानिकी प्रभाग**  
**शुक्र नाथ भंजन-मऊ**